भारत का संविधान

(Constitution Law of India)

JSB LAW College

अनुभवी अध्यापकों द्वारा

Jaswant Singh Bhadauria Law Colege

Kosi Khurd, Bharatpur Road, Mathura

Mob. : 8979000125, 126

Scanned with CamScanner

Selected Study Material

JSB LAW College

Session 2019-20

Scanned with CamScanner

भारत का संविधान
(Constitutional Law of India)

संविधान मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि होता है । वह विधायिका का सृजन करता है और उसके अन्तर्गत देश की सभी विधियाँ बनायी जातीहैं तथा वे संविधान से वैधता करती है ।

संविधान–

किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अन्तर्गत उसकी जनता शासित होती है । वह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है । उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उसके पारस्परिक तथा जनता के साथ सम्बन्धों को विनियमन करता है ।

किसी देश के संविधान को ऐसी आधार विधि भी कहा जा सकता है, जो उसकी राजव्यवस्था के मूल सिद्धान्त विदित करती है और जिसकी कसौटी पर राज्य की अन्य सभी विधियों तथा कार्यपालक कार्यों को उनकी विधिमान्यता तथा वैधता के लिये कसा जाता है ।

ISB LAW College

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--

भारत में संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत प्रसिद्ध है । भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही, वर्तमान संविधान की शुरुआत हो गयी थी ।

भारतीय संविधानिक इतिहास सन् 1600 से 1950 तक 350 वर्ष लम्बा है ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 31 दिसम्बर 1600 को लंदन में हुई । इसी तारीख को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया था ।

1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट में भारत में कम्पनी के शासन के लिये पहली बार एक

Scanned with CamScanner

लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया ।

भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से सेकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिलते हैं । भारत में अंग्रेजी शासनाधीन सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण सिविल तथा सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इण्डिया इन कौंसिल को सौंप दिया गया । इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार 'भारत सरकार' और उसकी परिषद भारतीय परिषद् के रूप में जानी गई ।

भारतीय परिषद् ऐक्ट, 1861 दो महत्वपूर्ण कारणो से महत्वपूर्ण है । एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद् में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से सम्बन्ध करने का अधिकार दे दिया । दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया तथा उन्हें बम्बई तथा मद्रास की सरकारों ने विहित कर दिया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ । ए0ओ0ह्यूम इसके प्रणेता था और डब्ल्यू0 सी0 बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने । इसका प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसम्बर 1885 को बम्बई में श्री डब्ल्यू0 सी0 बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ । कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में घोषणा की । नरम पंथियों के अनुसारे, 1919 में भारत शासन ऐक्ट द्वारा द्वैधशासन की एक नई पद्धति की शुरुआत हुई ।

1919 के एक्ट के अधीन ऐक्ट के कार्यकारिणी की जाँच करने तथा उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट देने और सुधार के लिये आगे और सिफारिशें करने के लिये 10 वर्ष बाद यानि 1929 में एक आयोग गठित करने का उपबन्ध था लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गयी । इसके सारे सदस्य भारतीय थे ।

कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया । नमक - भर सम्बन्धी कानून को तोड़ने के अह्वान तथा समुद्र तक पहुँचने के लिये गाँधी आन्दोलन आरम्भ हो गया । तीन गोलमेज सम्मेलन क्रमशः 1930, 1931 एवं 1932 में आयोजित किया गया ।

1935 में भारत शासन ऐक्ट बना । इस ऐक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था ।

1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया इसमें यह प्रस्ताव था कि भारत का दर्जा

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

डोमिनियम का होगा और युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार होगा कि वे अपनी संविधान सभा में अपने लिये संविधान बना सकें । गांधीजी ने इस प्रस्तावों को बाद की तारीख का चैक करकर निन्दा की ।

जुलाई, 1942 में वर्धा कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें माँग की गयी थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएँ । 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । कमेटी के समक्ष भाषण देते हुये गाँधीजी ने घोषणा की थी कि यह 'करो या मरो' का निर्णय है ।

1945-46 में प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव कराये गये । प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव के समय भारत में कैबिनेट मिशन 1945 में भारत आया ।

प्रथम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई ।

मार्च 1947 में लार्ड लुई माउंड बेटन को सत्ता के निर्णय हस्तान्तरण की व्यवस्था करने के लिये नये वायसराय के रूप में भेजा गया और अन्ततः 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन की तिथि निश्चित की गयी ।

माउन्टबेटन की योजना के आधार पर, ब्रिटिश ससद ने भारतीय संवतन्त्रता विधेयक, 1947 पारित किया । भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट के अनुसार 14-15 अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान की दो डोमिनियमों को गठित किया गया ।

भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा।

26 नवम्बर, 1949 तक संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया । संविधान के कुछ उपबन्ध 26 नवम्बर, 1949 को प्रवृत्त हुए और शेष उपबन्ध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुए जिसे संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है । इस प्रकार भारत को अपना एक अलग संविधान प्राप्त हुआ इस संविधान पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर थे ।

ISB LAW College

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ--

1. विशालतम संविधान-- सर आइवर जेनिग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है । मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं । 78वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 के पश्चात् संविधान में अब कुल 443 अनुच्छेद हो गये हैं जो 26 भागों में विभाजित है और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं --

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों से अनुभव प्राप्त किया और उन्हें उनके संचालन में हुई कठिनाइयों के बारे में ज्ञान भी था । इससे संविधान निर्माताओं ने लाभ उठाया और विश्व के संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया जासे अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, आयरलेण्ड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मन के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के आपात उपबन्धों को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया ।

भारतीय परिसंघ अनेक राज्यों से मिलकर बना है । इसलिये इन प्रान्तों की शासन व्यवस्था आदि विषयों के लिये नियमों का भी होना आवश्यक था ।

अमेरिका में राज्यों के संविधान अलग-अलग हैं । संघीय संविधान में राज्यों से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं दी गई है । परन्तु भारत में प्रान्तों का गठन और उनकी शक्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध संघीय संविधान में ही दिये गये हैं । इस प्रकार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों सरकारों के गठन और शक्तियाँ एक ही संविधान में निहित होने के कारण संविधान बड़ा हो गया ।

भौतिक दृष्टि के कारण भी संविधान को बड़ा बनाते हैं । जैसे भारत में अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक धर्म मानने वाले, विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग (अनुसूचित जातियों) का देश है ।

मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारतीय संविधानों में राज्य के नीति निर्देशक का विशद वर्णन दिया गया है । संविधान की विशुद्धता के समर्थकों का कहना है कि संविधान जितना विषद होगा उसमें उतनी ही स्पष्टता आयेगी और संविधान में जितनी ही स्पष्टता होगी वह जनता को उतना ही बौधगम्य और ग्राही हो सकेगा ।

JSB LAW College

2. प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतन्त्र, पंथ-निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना-- भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य भारत में प्रभुता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है । प्रस्तावना में कहा गया है-- "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक पंथ-निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिये - दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं ।"

प्रभुतासम्पन्न (Sovereign)-- का अर्थ उस राज्य से होता है जो किसी अन्य देश या बाहरी देशों के नियन्त्रण से मुक्त होता है और अपनी आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों

Scanned with CamScanner

को स्वयं ही निर्धारित करता है ।

लोकतन्त्रात्मक शासन (Democratic)-- का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसका सूचना प्राधिकार जनता में निहित होता है और जो जनता के लिये तथा जनता द्वारा स्थापित की जाती है । देश का प्रशासन सीधा जनता के प्रति ही द्वारा ही निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और ये प्रतिनिधि अपने प्रशासकीय कार्यों के लिये जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं ।

धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य (Secular Socialist Republic) पंथ निरपेक्ष--शब्दावली को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है । पंथ-निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से है जो किसी विशेष धर्म की राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता वर्ना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है । अनु0 25 से 28 तक इससे संबंधित उपबंध शामिल किये गये हैं ।

समाजवाद-- समाजवाद की उपधारणा प्रस्तावना को आर्थिक न्याय शब्दावली का प्रयोग कर इस बात की पूरी स्वतन्त्रता दी है जिससे सरकार किसी भी तरह की आर्थिक व्यवस्था की स्थापना कर सके । साधारणतया इस शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से भी है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियन्त्रण में होते हैं । किन्तु भारतीय समाजवाद का एक अनौखा समाजवाद है । यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है ।

3. संसदीय प्रणाली की सरकार-- भारतीय संविधान में इंग्लैण्ड के संविधान के समान संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी है । संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों को समान माना गया है । राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है । कार्यपालिका शक्ति मंत्रीपरिषद में होती है । मंत्रीपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा चुने व्यक्तियों में से किया जाता है । मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है । भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकारिणी की समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिसका प्रयोग राष्ट्रपति मन्त्रीपरिषद की सलाह से करता है । इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को कार्यकारिणी की शक्तियाँ दी गई हैं जिनका प्रयोग वह राज्यों की मंत्रीपरिषद की सलाह से ही करता है ।

4. द्विसदनात्मक विधानमण्डल-- भारतीय संविधान में केन्द्रीय विधानमण्डल को दो भागों में विभाजित किया गया है--

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

1. लोकसभा (निम्न सदन)
2. राज्यसभा (उच्च सदन)

लोकसभा और राज्यसभा के अन्तर्गत लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जाते हैं, किन्तु राज्य सभा और विधान परिषद की स्थापना की गई है । राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर केन्द्रीय विधानमण्डल का गठन होता है, जिसे भारत की संसद कहते हैं । केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रीपरिषद अपने-अपने अधीन क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं ।

5. मूल अधिकार-- भारतीय संविधान से देश के नागरिकों के लिये मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं । भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है । लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है । वास्तव में लोकतन्त्र का आधार ही जनता के अधिकारों का संरक्षण है । इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करने की प्रेरणा हमें अमेरिका से मिली है । मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है । भारतीय संविधान में निम्नलिखित 7 प्रकार के मूल अधिकार दिये गये हैं--

1. समानता का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
4. संस्कृति व शिक्षा का अधिकार
5. सम्पत्ति का अधिकार
6. शोषण के विरुद्ध अधिकार
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

6. राज्य के लिये नीति निर्देशक तत्व (Directive principles for the state)-- भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसके द्वारा राज्यों के लिये कुछ सिद्धान्त बनाये गये हैं जिन्हें राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है । इन सिद्धान्तों का प्रयोग राज्यों द्वारा जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिये किया जाता है । लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के राज्य के नीति निर्देशक

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

तत्वों को उपबन्धित किया गया है । भारतीय संविधान में उपबन्धित करने की प्रेरणा मुख्यतः आयरलैण्ड के संविधान से मिली है । ग्लेनविन ऑस्टिन ने इस सिद्धान्त का राज्य की आत्मा कहा है । ये तत्व इस प्रकार हैं--

1. सामाजिक व्यवस्था का निर्माण
2. काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार
3. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
4. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
5. कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा
6. पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण
7. एक समान व्यवहार संहिता
8. राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण
9. न्यायपालिका का संरक्षण
10. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में अभिवृद्धि
11. लोक स्वास्थ्य में सुधार
12. ग्राम पंचायतों का गठन
13. कामगारों की प्रबन्ध में भागीदारी
14. कृषि एवं पशुपालन

7. पूर्ण वयस्क मताधिकार-- भारतीय संविधान में पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है । लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिये वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित है । मताधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक वयस्क स्त्री और पुरुष को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है ।

8. राजनीतिक दल (Political Parties)-- भारतीय संविधान में यद्यपि राजनीतिक दलों की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में संसदीय प्रणाली के अनुसार राजनीतिक दलों को नाम रखने, उसका गठन करने, सदस्य बनाने और उसके माध्यम से विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता दी गई है । विपक्षी राजनीतिक दलों की सत्ता पक्ष के गलत कार्यों का विरोध करते हैं ।

9. परिवर्तनशीलता-- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इसकी परिवर्तनशीलता भी है । इसका तात्पर्य यह है कि जनता व देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान

JSD LAW College

Scanned with CamScanner

में संशोधन किया जा सकता है । भारतीय संविधान लिखित संविधान होते हुये भी परिवर्तनशील है । इसे भारत की संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है ।

10. केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति-- भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है उसमें केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति । आपातकालीन दशा में संविधान एकात्मक हो जाते हैं । केन्द्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है । विभिन्न राज्यों के हितों को ध्यान पर देश के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । केन्द्रीयकरण की इस सबल प्रवृत्ति का लाभ देश के सुरक्षा के रूप में मिलता है ।

11. स्वतन्त्र न्यायपालिका-- भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक रखा गया है, जो इस संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एक न्यायपालिका की व्यवस्था करता है । देश के सभी नागरिकों, राज्यों और हिस्सों पर समान रूप से कानून लागू होते हैं । इकहारी न्याय व्यवस्था के कारण न्यायपालिका स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करता है । देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है । स्वतन्त्र न्यायपालिका केन्द्र और राज्यों के मध्य हुए विवादों को निपटाने का कार्य करती है । उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है । स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करती है । जनता को निष्पक्ष न्याय प्रदान करने और प्रजातन्त्र की आधारशिला के रूप में निर्ममतापूर्वक न्याय सुलभ कराने के लिये स्वतन्त्र न्यायपालिका को रखा गया है ।

12. धर्म-निरपेक्ष राज्य-- भारतीय संविधान में देश के सभी धर्मों को समान माना गया है और देश के समस्त नागरिकों को निर्भयता और स्वतन्त्रतापूर्वक पूजा करने, उपासना करने किसी भी धर्म का अनुयायी होने का अधिकार प्रदान किया गया है । यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्यों को किसी भी धर्म के प्रचार करने और किसी धर्म के प्रति पक्षपात करने का अधिकार नहीं है ।

13. निवारक निरोध की व्यवस्था (Provision preventive Detention)-- भारतीय संविधान के भाग 3 में निवारक निरोध की महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है । इस उपबन्ध के अन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उन क्तियों पर रोक लगायी जायेगी, जो कि गुण्डातत्व हैं, मुनाफाखोर, कालाबाजारी, भ्रष्ट और देशद्रोही कार्यों में संलग्न हैं ।

14. इकहारी नागरिकता-- भारतीय संविधान की एक और मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है देश के विभिन्न

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

राज्यों या क्षेत्रों के आधार पर भारतीय संविधान में नागरिकों द्वारा नहीं रखी गयी । अपितु केवल एक देश की ही नागरिका सभी व्यक्तियों पर लागू की गई है ।

भारतीय नागरिक को नागरिका से उत्पन्न अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई है । संविधान में उल्लिखित इकहारी नागरिकता देश में राष्ट्रभाव को बढ़ावा देने में अग्रोन्मुख है । एक नागरिकता होने से संस्कृति, परम्परायें भिन्न होते हुये भी एक हो जाती है और राष्ट्र को एक सूत्र में, एकता में पिरो देती है ।

15. संघात्मक और एकात्मक स्वरुप-- भारतीय संविधान वैसे तो संघात्मक रूप में ही निर्मित हुआ है किन्तु संकटकालीन स्थिति में एक एकात्मक संविधान का रूप होता है । इस समय देश की समस्त शक्तियाँ केन्द्र को प्राप्त हो जाती हैं । एकात्मक संविधान के रूप में यह कहा जा सकता है कि देश की एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और एक समान इकहरी नागरिकता लागू की गई है ।

16. लचीला और कठोर (Flexible and Rigid)-- भारतीय संविधान कठोर होते हुए भी बहुत लचीला है । संविधान में संशोधन होने पर एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जिसके अन्तर्गत संसद के दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही कोई संशोधन प्रस्ताव पारित किया जाता है ।

17. मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)-- भारतीय संविधान में 42वें संविधान के द्वारा एक नया भाग 4(क) और उनके अन्तर्गत अनुच्छेद 51(क) जोड़ा गया है जिसमें भारत के नागरिकों पर मूल कर्त्तव्य आरोपित किये गये हैं । भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे । स्वतन्त्रता आन्दोलन के आदर्शों का हृदय में सँजोये रखे और उसका पालन करे, भारत की प्रभुका, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करे, आह्वान करने पर सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व का निर्माण करे, स्त्री-विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे, भारत की संस्कृति का परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्द्धन तथा प्राणि-मात्र के प्रति दयाभाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकेंण, मानववाद, ज्ञानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करे और व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे ।

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

संविधान की प्रकृति
(Nature of the Constitution)

भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है । संविधान प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ0 अम्बेडकर ने हा है कि "मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबन्धों का समावेश है जो केन्द्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं कि जिसमें प्रान्तों की स्वतन्त्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी वह परिसंघात्मक संविधान है-- प्रोफेसर हियर और प्रेफेसर जेनिंगस के अनुसार कोई भी संविधान परिसंघात्मक है या नहीं इसके लिये हमें यह जानना चाहिये कि उसके आवश्यक तत्व क्या हैं जिन संविधानों में निम्न तत्व पाये जाते हैं उसे परिसंघात्मक संविधान कहा जाता है ।"

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ AIR (1963 SC 12141)

सेन्ट्रल इनलेण्ड वाटर ट्रन्सप्रोत कार्पोर्शन बनाम ब्रजोनाथ गंगुली (1986)

1) संघीय सिद्धान्त-- प्रोफेसर हायर के अनुसार परिसंघीय सिद्धान्त के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है और यह विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिसमें प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतन्त्र हो और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी हो, न कि एक दूसरे के अधीन हो ।

संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व--

1. शक्तियों का विभाजन
2. संविधान की सर्वोपरियत
3. लिखित संविधान
4. संविधान की अपरिवर्तनशीलता
5. न्यायपालिका प्राधिकार

एकात्मक स्वरुप--

1. इकहरी नागरिकता
2. एक संविधान की शक्ति
3. परिवर्तनशील
4. आपातकाल में एक होना
5. एक न्यायपालिका शक्ति
6. कानूनों में एकरुपता
7. समान मूल अधिकार और कर्त्तव्य
8. राष्ट्रीय के प्रतीक, चिन्ह एवं गानों में एकरुपता

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

संविधान की प्रस्तावना--

प्रस्तावना का अर्थ होता है जिसमें किसी विधि के बारे में उसका सामान्य उद्देश्य तथा उसकी आकांशा विहित हो, प्रस्तावना प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, प्रस्तावना से ज्ञात हो जाता है कि इस अधिनियम को किनी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये लागू किया गया है । उच्चतम न्यायालय के अनुसार-- ''प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उपयोगी विचारों को जानने की एकमात्र महत्वपूर्ण कुंजी है ।''

गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 SC 1643

एस0आर0बोम्बई तथा अन्य बनाम भारत संघ अन्य AIR 1994 SC 1918

मैसर्स बुराकर कोल कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया AIR 1961 SC 954

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1973 SC 1461

संघ और राज्य क्षेत्र--

राज्यों का संघ शब्द को ब्रिटिश, उत्तरी अमेरिका (कनाडा) अधिनियम, 1867 से लिया गया है । इस शब्द का अर्थ है कि सुदृढ़ केन्द्रयुक्त संघ की स्थापना करना । इस प्रकार के संघ की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक और प्रशासनिक विकास करना है ।

भारतीय संविधान को प्रस्तुत करते हुये संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि ''यद्यपि हमारा यह संविधान संरचना की दृष्टि से संघीय हो सकता है किन्तु कुछ निश्चित उद्देश्यों से समिति ने इसे संघ कहा है ।'' भारत संघ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये कहा गया क्योंकि ये उद्देश्य निश्चित है--

1. राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है, और

2. भारत का संघ इकाइयों के बीच परस्पर करार का परिणाम नहीं है ।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक संघ राज्य होगा जो कि दो नामों से पुकारा जायेगा-- ''इण्डिया'' और ''भारत'' ।

भारत का एक संघ राज्य है । इस सम्बन्ध में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने संघ को निम्न शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है -- ''यद्यपि भारत को एक फेडरेशन होना था, लेकिन फेडरेशन से सम्मिलित होने के लिये राज्यों के बीच हुए इकरार का यह परिणाम न था और न किसी राज्य को 'फेडरेशन' से पृथक् होने का अधिकार दिया गया,

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

फेडरेशन एक संघ है, क्योंकि यह सभी समाप्त नहीं होगा । यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिये सम्पूर्ण देश और उनके निवासियों को विभिन्न राज्यों में बाँटा जा सकता है, लेकिन सम्पूर्ण देश एक इकाई है और इसके निवासी एक ही स्रोत में उद्भूत सर्वोच्च शक्ति के अधीन रहने वाले व्यक्ति हैं ।''

भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, रंघ राज्य और अर्जित किये जाने वाले क्षेत्र शामिल हैं ।

मूल अधिकार (Fundamental rights)--

मूल अधिकारों का अर्थ- मौलिक या मूल अधिकार व्यक्तियों को मिलने वाले वह अधिकार होते हैं जो किसी स्वतन्त्र देश के नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मक विकास के लिये आवश्यक और अनिवार्य होते हैं ।

मूल अधिकारों में वह अधिकार विहित हैं जो उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं । भारतीय संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों का विशद रूप में उल्लेख किया गया है । भारतीय संविधान में जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं किया गया । इसीलिये संविधान के अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है । इस अधिकार पत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 ई0 में इंग्लैण्ड के सम्राट जॉन ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी . यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों सं संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है।

अमेरिका में मौलिक अधिकारों को प्राकृतिक और अविच्छेद अधिकारों के रूप में बिल ऑफ राइट्स (Bill of Rights) में उपबन्धित किया गया है ।

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 16 के वाद में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि- मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। भारत में न्यायपालिका द्वारा इन मूल अधिकारों की सदैव रक्षा की जाती है । इन अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार कहा जाता है ।

बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले (AIR 1976 SC 1207) में भी इस मत को माना गया।

अतः मूल अधिकार वे अधिकार कहे जा सकते हैं जो सही अर्थों में किसी व्यक्ति

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

के जो कि उस देश का नागरिक है, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की वृद्धि करते हैं । व्यक्तियों के अधिकारों की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये भी मूल अधिकार आवश्यक होते हैं ।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत भी देश के समस्त नागरिकों के लिये मूल अधिकारों को उपबन्धित किया गया है । अतः हम यह कह सकते हैं कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्तियों केविकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । मूल अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है .

मूल अधिकारों के उद्देश्य--

भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की विवेचना की गई है । मूल अधिकार नागरिकों को मिलने वाले वे महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा देते हैं । भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को उल्लिखित करने के कुछ उद्देश्य थे । सामान्य रूप से नागरिकों के मूल्यों को संरक्षण प्रदान करना मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है । भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की गारण्टी के लिये सरकार एवं न्यायपालिका को अधिकार प्रदान किये गये हैं । संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के उद्देश्य को निम्नलिखित वादों के निर्णय से समझा जा सकता है ।

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 SC 597

के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के उद्देश्य पर निम्न टिप्पणी की है--

"मूल अधिकारों का गहन स्रोत स्वतन्त्रता का संघर्ष है । मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों की गरिमा का संरक्षण करना है और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है ।"

मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में उपबन्धित किये जाने का लक्ष्य नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की व्यवस्था करना, विचार, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान करना तथा समानता के अवसर प्रदान करना है ।

वैस्ट वर्जिनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजूकेशन बनाम बर्नेट, 319, Upper Section 624 में यह कहा गया कि-

Fundamental Right protect the interest of the individual from whins and vagaries of the vacillarting majority."

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

मूल अधिकार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके उल्लंघन किये जाने पर संरक्षण प्रदान करते हैं । अतः हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को समान न्याय, समानता, स्वतन्त्रता प्रदान करने के साथ उनको विकसित करना भी है ।

प्रिवी पर्स के केस में जस्टिस हेगड़े का मानना था कि संविधान में मूल अधिकारों का उद्देश्य विधि शासन की स्थापना है-- A Government of Law and not of men"

मल अधिकारों के लक्षण-

1. न्यायिक प्रकृति
2. समान रुप से प्राप्त
3. वैयक्तिक अधिकार
4. जीवन के रक्षक

न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)--

न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है न्यायालय की वह शक्ति जिसके अन्तर्गत वे विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम की संवैधानिकता की जाँच करते हैं । न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है ।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अन्तर्गत देश का सर्वोच्च न्यायालय सभी पूर्व संविधान और संविधानोत्तर या भावी विधियों को, यदि वे संविधान में भाग 3 के उपबन्धों का अतिक्रमण करती है ।

माइबरी बनाम मेडिसन, 2 ला0 एड0 60 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के संविधान के विरुद्ध है, अवैध घोषित की जा सकती है । अतः न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय को प्राप्त होती है । **कोनासीमा कोआप0 सेन्ट्रल बैंक लि0 बनाम एन0एस0राजू;**

पृथक्करणीयता का सिद्धान्त--

प्रथक्करणीयता के सिद्धान्त से तात्पर्य है कि यदि किसी संविधि का कोई भाग असंवैधानिक होता है तो इस सिधान्त के अनुसार उस सम्पूर्ण संविदा को शून्य घोषित न करके केवल उतने भाग को ही अवैध माना जायेगा, जो कि असंवैधानिक है ।

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

कामिस रिजवी बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद

1953 S.C.R. 589 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी अधिनियम के केवल वे ही भाग अवैध घोषित किये जायेंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हैं अथवा मूल अधिकारों के विरुद्ध है, पूर्ण अधिनियम को अवैध घोषित नहीं किया जायेगा ।

अपवाद-- पृथक्करणीयता के सिद्धान्त का एक अपवाद भी है जिसके अनुसार यदि किसी अधिनियम का वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार संलग्न है कि वैध भाग को निकाल देने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाता है अथवा शेष रहे भाग का कोई अस्तित्व स्वतन्त्र रूप से नहीं रह जाता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह सम्पूर्ण अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर दे । (ऋक्ङ 1952 च्क 252)

आच्छादन का सिद्धान्त--

यह भारत संविधान के अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है ।

इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक कि इस भाग के उपबन्धों से असंगत है ।

JSB LAW College

समानता का अधिकार

(अनु0 14 से 18)

विधि के समक्ष समता--

विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार के अनु0 14 में यह उपबन्धित करता है कि **"भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों से समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।"**

यह सिद्धान्त देश के समस्त नागरिकों पर लागू किया गया है । अनु0 14 में दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है, पहला विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण ।

प्रथम वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधान में पाया जाता है जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, द्वितीय वाक्यांश विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संविधान से किया गया है ।

प्रा0 डायसी के अनुसार-- विधि शासन (Rule of Law) कहते हैं ।

विधि का समान संरक्षण वाक्यांश समानता का स्वीकारात्मक रूप है । जिसका

Scanned with CamScanner

तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, अर्थात् समान कानूनों को लागू करना ।

मानव अधिकार के घोषणा पत्र में भी विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है।

इसके अनुसार-- "विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के सभी विधि का संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।"

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार, AIR 1952 च्क 75 में अभिनिर्धारित किया गया कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार एक ही है और समस्त व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है । विधि के समक्ष समानता में न्याय की भावना निहित है ।

मिनवी मिल्स बनाम भारत संघ, AIR 1980 SC 1789 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित अनु0 31ग को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है कि वह अनु0 14 द्वारा स्थापित 'विधि-शासन' और अनु0 19 द्वारा प्रदत्त 'स्वतन्त्रताओं' के मौलिक अधिकारों को नष्ट करता है जो स्वतन्त्र लोकतन्त्र के अस्तित्व के लिये आवश्यक है ।

विधि के समक्ष समानता में निहित होता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच एक ही समान विधि समान रूप से लागू की जानी चाहिये तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये ।

स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरार, के मामले में न्यायालय ने कहा कि "**विधियों का समक्ष समता**" का ही एक उप-सिद्धान्त है, क्योंकि उन परिस्थितियों की कल्पना करना कठिन है, जब 'विधियों के समान संरक्षण' के अधिकार को इंकार करके विधि के समक्ष समता के अधिकार को कायम रखा जा सकता हो । इस प्रकार दोनों वाक्यांशों का अर्थ एक ही है ।

शिवशंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1951 Nagpur, 58 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'विधि के समक्ष समता' और विधि का समान संरक्षण इन दोनों में एक ही उद्देश्य निहित होता है- समान न्याय

मेनका गाँधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 SC 407 तथा अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब AIR 1981 SC 487 और डी.एस.नकारा बनाम भारत संघ AIR 1983 SC 130 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 का क्रियाशील विस्तार है और

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

यह मनमानेपन केविरुद्ध संरक्षण है । युक्तियुक्तता का सिद्धान्त समता के सिद्धान्त का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 के विद्यमान रहता है ।

''विधि के समान संरक्षण'' का अर्थ होता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान कानूनों के अधीन रखा जाना । यह उपबन्ध नागरिक और अनागरिक दोनों को ही समान रूप से प्राप्त है ।

रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य AIR 1980 SC 1086 में कहा गया कि विधि शासन से यह अपेक्षा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के साथ किये बर्बर व्यवहार से उन्हें संरक्षण प्रदान करे । अनुच्छेद 14 में विहित विधि शासन संविधान का ''आधारभूत ढ़ाँचा'' है जिसे अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

स्वतन्त्रता का अधिकार

वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना जाता है । किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि ''स्वतन्त्रता ही जीवन है'', क्योंकि इस अधिकार के अभाव में मनुष्य के लिये अपने व्यक्तित्व का विकास करना सम्भव नहीं है। भारतीय संविधान के अनु0 19-22 तक में भारत में नागरिकों को स्वतन्त्रता सम्बन्धी विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं । ये चारों अनु0 दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार पथ स्वरुप हैं । अनु0 19 भारत के सब नागरिकों को निम्न छह स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता है--

(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
(ख) सभा करने की स्वतन्त्रता
(ग) संघ बनाने की स्वतन्त्रता
(घ) भ्रमण की स्वतन्त्रता
(ङ) आवास की स्वतन्त्रता
(च) सम्पत्ति अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतन्त्रता
(छ) पेशा, व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार की स्वतन्त्रता

टाटा इन्जीनियरिंग कम्पनी बनाम बिहार राज्य AIR 1965 SC 90

एस.0 सी0एल0सी0एम0 कम्पनी बनाम भारत संघ AIR 1983 SC 937

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

में यह अभिनिर्णित किया गया कि एक कम्पनी अनु0 19 द्वारा प्रयुक्त अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकती है

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता- का अधिकार-- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया है । इस अनु0 के अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त होगा ।

भाषण और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचार रखे एवं मत को बिना किसी रोकटोक के स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट कर सकता है । इस प्रकार की अभिव्यक्ति शब्दों, लेखों और मुद्रण व चित्रों के द्वारा प्राप्त हो सकती है ।

लापेल बनाम सिफिम (1938), 303 U.S. 944 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी भी ऐसे ढंग से अभिव्यक्ति करने का विचार शामिल है, जिससे वह उस चीज की दूसरों तक सम्प्रेषित कर सके जिसे वह अभिव्यक्ति करना चाहता है, अतएव इसमें संकेतों, झण्डों, चिन्हों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है ।

रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ''भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता'' भी शामिल है ।

वाणिज्यिक अभिव्यक्ति (Commercial speach)-- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत प्रकट भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार का एक हिस्सा है । टाटा प्रेस यलो पेपर कम्पनी यदि व्यापारियों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायियों से विज्ञापन प्राप्त करके टेलीफोन डायरेक्टरी में यलो पेजेज जोड़ती है तो इस प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती ।

बाल और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में निम्नलिखित स्वतन्त्रतायें भी सम्मिलित हैं-

1. प्रेस की स्वतन्त्रता- प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ होता है कि अपने विचारों और अभिव्यक्ति को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निर्बाध रूप से प्रकट करना ।

सभाल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, AIR 1962 SC 305

के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

भारतीय प्रेस कमीशन ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि-

"प्रजातन्त्र केवल विधानमण्डल की सचेत देखभाल में ही नहीं वरन् लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन के अन्तर्गत भी फूलता-फलता है । प्रेस की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उसके माध्यम से ही लोकमत स्पष्ट होता है ।"

शर्मा बनाम सिन्हा AIR 1959 SC 395 (402)

में कहा गया है कि प्रेस की स्वतन्त्रता एक साधारण नागरिक की स्वतन्त्रता से बढ़कर नहीं है और यह उन प्रतिबन्ध के अधीन है जो अनु0 19(2) द्वारा नागरिकों के बाल और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर लगाये गये हैं ।

प्रभुदत्त बनाम भारत संघ AIR (1982 SC)

ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य AIR 1950 SC 129

(2) विज्ञापन की स्वतन्त्रता-- विज्ञापन विचारों की अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। व्यापारिक प्रकृति के विज्ञापनों पर सामान्य कर कानून से छूट नहीं मिल सकती और सरकार द्वारा ऐसे विज्ञापनों पर यथोचित कर लगाया जा सकता है । प्रेस की स्वतन्त्रता औद्योगिक सम्बन्धों की विनियमित करने वाले कानूनों के अधीन है ।

हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1980 SC 554 के मामले में सरकार ने औषधि और जादू उपचार अधिनियम पारित किया । जिसका उद्देश्य औषधियों को नियन्त्रित करना और बीमारियों को अच्छा करने के लिये जादू के गुण वाली औषधियों के विज्ञापन को निषिद्ध करना था ।

(3) प्रदर्शन, धरना और हड़ताल की स्वतन्त्रता-- प्रदर्शन और धरना भी अभिव्यक्ति के साधन होते हैं । हिंसात्मक प्रदर्शन और धरनों पर राज्य सरकार निर्बन्धन लगा सकती है । वे प्रदर्शन जो हिंसात्मक और उच्छृंखल नहीं होते, इस शीर्षक के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है । इसी प्रकार हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है ।

(4) चलचित्र (Cinema)-- चलचित्र भी विचारों और वाक् का एक माध्यम है। **के0ए0 अब्बास बनाम भारत संघ AIR 1971 SC 481** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चलचित्रों पर पूर्ण अवरोध अनुच्छेद 19(1) (अ) और (ब) के अधीन संवैधानिक है ।

सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार आदि बनाम बंगाल क्रिकेट

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

एसोशियेशन आदि में यह व्यक्त किया गया कि ब्राडकास्टिंग तथा टेलीकास्टिंग भाषण एवं अभिव्यक्ति के माध्यम हैं । इस क्षेत्र में 'एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती । इसी वाद में यह भी कहा गया कि अनु0 19(क) के अधीन किसी भी व्यक्ति को इलैक्ट्रोनिक मीडिया- डेलीविजन रेडियो द्वारा किसी घटना का आँखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार है ।

प्रभुदत्त बनाम भारत संघ-- AIR 1982 SC 61 में कहा गया है कि समाचार तथा सूचना पाने का अधिकार भी अनु0 19(क) में निहित है ।

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित किया गया है कि युक्तियुक्त आधारों पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है । ये निर्बन्धन अग्रलिखित आधार पर लगाये जा सकते हैं--

(1) राज्य की सुरक्षा
(2) विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में
(3) सार्वजनिक व्यवस्था
(4) शिष्टाचार या सदाचार के हित में
(5) न्यायालय - अवमानना
(6) मानहानि
(7) अपराध उद्दीपन के मामलों में
(8) भारत की संप्रभुता और अखण्डता

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार उपरोक्त किसी भी आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगा सकती है और राज्य सरकार को ही अन्तिम कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया गया है । सार्वजनिक व्यवस्था का अर्थ होता है समाज की बाहरी और आन्तरिक खतरों से सुरक्षा करना और इसी सन्दर्भ में न्यायालय भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्बन्धन कायम कर सकता है ।

प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का संरक्षण- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहित स्वतन्त्रता को संरक्षण देने के सम्बन्ध में उपबन्धित है यह अनुच्छेद उपबन्धित करता

JSB LAW College

Scanned with CamScanner